INDIA दस रुपये TEN RUPEES INDIA दस रुपये TEN RUPEES INDIA दस रुपये TEN RUPEES

2

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क /20117 R 440-II/17

श्री ... सिंह जादौन द्वारा आज दि. 1-2-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनेक सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह व्यवसाय खेती निवासी ग्राम कृष्णगंज परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. । ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

............अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क 409/ 15–16 मे पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध ~~अपील प्रस्तुत~~ । निगरानी ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

निगरानी कें संक्षेप मे तथ्यः–

प्रकरण के सूक्ष्य में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ,

1. यहकि, निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्धारा पटवारी ग्राम की मिथ्या ,झूठी वनावटी द्वेष भावना पूर्ण रखते हुये एक रिपोर्ट के आधार पर से आवेद को एक सूचना पत्र इस आशय का दिया गया कि , आपके द्धारा ग्राम कृष्णंगज आवादी भूमि सर्वे क 211 रकवा 0.261 हे0 के रकवा **25X10** फुट भूमि पर अवैध कव्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा हैं एंव अपीलाट को उक्त आशय का सूचना पत्र दिया जाकर अपीलांट को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 440–दो/2017 जिला शिवपुरी

अनेक सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 409/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 25–1–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासकीय रास्ते पर आवेदक द्वारा 25 बाई 10 वर्गफुट क्षेत्र में कमरे के निर्माण कार्य किये जाने के कारण उसके विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर भूमि से बेदखल करने के अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। विचारण न्यायालय के आदेश को प्रथम एवं द्वितीय न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का आधार प्रथमदृष्टया इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी ग्राह्यत के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एम0 अली) सदस्य	